

प्रपत्र संख्या 64ब

[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (ii) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन दी जाने वाली विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

1. विनिधान निधि का नाम: _____
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता: _____
3. विधिक प्रास्थिति [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय: _____
4. स्थायी लेखा संख्यांक: _____
5. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो: _____
6. विनिधान निधि के निदेशकों/न्यासियों/भागीदारों के नाम और पते* : _____

क्र. सं.	नाम	पता	स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)

7. ³[(i) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम 2012 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकृत है:]

(ii) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दें:

- (a) यदि वर्ग I/II के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं : हां/नहीं* _____
- (b) रजिस्ट्रीकरण संख्या : _____
- (c) रजिस्ट्रीकरण की तारीख : _____

8. (क) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिधान निधि की कुल आय : _____

(ख) [निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक शीर्ष के स्तंभ (7) के अधीन कुल रकम] कुल आय का ब्रेकअप: _____

क्र. सं.	शीर्ष के अधीन	आय/हानि			धारा 115पख की उपधारा (2) के अनुसार हानि मुजरा की जाए	धारा 115पख की उपधारा (2) के निबंधनों में मुजरा हानियों के पश्चात् कुल आय/हानि [(5में से (6) घटाकर)]
		रकम	गैर निवासी यूनिट धारक के विनिधान में से अपतट विनिधान	कुल [(2) में से (3) घटाकर]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ					
2.	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य (धारा 112क से भिन्न 20% दर पर प्रभार्य)]					
3.	अल्पकालिक पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15%/30% लागू दर पर प्रभार्य]					
4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)					

1. आय-कर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा **28.7.2020** से प्रतिस्थापित।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **17.7.2023** से प्रतिस्थापित।

9. (i) पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, धारा 115पख की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के अनुसार अनदेखी किया जाना अपेक्षित है,-

(क) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (i) का उपखंड (ख):

क्र. सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)
	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ	

(ख) धारा 115 पख की उपधारा (2) का खंड (ii):

क्र. सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों:

क्र. सं.	अग्रणीत लाई गई हानि के ब्यौरे, यदि कोई हों		पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान [धारा 115पख (2) के अनुसार] मुजरा करने के पश्चात् आय/हानि की रकम	अग्रणीत की जाने वाली हानि की रकम [(5) में से (6) घटाकर]	
	निर्धारण वर्ष	रकम		निर्धारण वर्ष	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) विभिन्न शीर्षों के अधीन उपरोक्त (ii) पर हुई हानियों का मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक आय (सारणी के स्तंभ (7) में पैरा 8(ख) के अधीन — रकम मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक रकम);

(क) ‘कारबार या वृत्ति के लाभ अभिलाभ’ शीर्ष के अधीन आय:

क्र. सं.	रकम	अनुपात (स्तंभ (2)/उपरोक्त 9(iii) पर रकम)
(1)	(2)	(3)

(ख) ‘पूंजी लाभ’ शीर्ष के अधीन आय:

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभाय]		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभाय]		
3	दीर्घावधि पूंजी लाभ [20% दर पर प्रभाय]		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभाय]		
5	अल्पावधि पूंजी लाभ [30% दर पर प्रभाय]		
6	अल्पावधि पूंजी लाभ [लागू दर पर प्रभाय]		

(ग) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय:

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115-ग में निर्दिष्ट]*		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

*[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ग में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा।]

10. 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित कारबार या वृत्ति के लाभ और अधिलाभ शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी अन्य हानि, यदि कोई हो, के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम		कुल
	दीर्घावधि पूंजी लाभ	अल्पावधि पूंजी लाभ	
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-2017			
2017-2018			
2018-2019			
2019-2020			
2016-2017			
कुल			

11. उपरोक्त 9(i)(ख) में हानि की अनदेखी करने के पश्चात् विभिन्न शीर्षों के अधीन कुल हानि [उपरोक्त सारणी के स्तंभ (7) में 8(ख) के अधीन --- कुल नकारात्मक रकम]:

(i) 'पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि:

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभायी]		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभायी]		
3	दीर्घावधि पूंजी लाभ [20% दर पर प्रभायी]		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभायी]		
5	अल्पावधि पूंजी लाभ [30% दर पर प्रभायी]		
6	अल्पावधि पूंजी लाभ [लागू दर पर प्रभायी]		

(ii) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन हानि:

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अन्य स्रोत (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

12. धारा 115पख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यूनिट धारक होते ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे, जिसके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है, ऐसी दशा में जहां-

(i) धनात्मक आय है:

क्र. सं.	यूनिट धारक का नाम	पता	पैन/आधार सं.	संदत्त/जमा की गई/जमा की गई समझी गई कुल धनात्मक आय	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन आय			'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन आय			'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय		
					धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(क) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	20% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(2)]	धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(4)]	30% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(ii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(5)]	लागू दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(6)]	'लाभांश' [धारा 115ग में निर्दिष्ट]* [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	अन्य स्रोत [स्तंभ 5X क्र. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(2) (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

*[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ग में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा] ।

(ii) धारा 115पख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार 12 मास से अधिक के लिए धारित यूनिटों के संबंध में हानि है:

क्र. सं.	यूनिट धारक का नाम	पता	पैन/आधार सं.	संदत्त/जमा की गई/जमा की गई समझी गई कुल हानि	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि			'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि			'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन हानि [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]
					धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(2)]	20% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(3)]	धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(4)]	30% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(5)]	लागू दर पर प्रभाय [स्तंभ 5X क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(iii) 31 मार्च, 2019 को धारा 115पख की उपधारा (2क) के खंड (ii) के निबंधानुसार समझी गई हानि है-#:

क्र. सं.	यूनिट धारक का नाम	पता	पैन/आधार सं.	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि	'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

निर्धारण वर्ष 2020-21 से उपरोक्त बिन्दु (iii) का लोप किया जाएगा।

- प्रत्येक निर्धारण वर्ष (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 पृथकतः भरा जाए)

³[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम 2012 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें]

संपरीक्षित लेखे, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115पख(6) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग की सत्यापित प्रतिलिपि सहित प्रति संलग्न करें।

मैं, _____ (पूरा नाम) पुत्र/पत्नी/पत्नी
..... (श्री/श्रीमती/सुश्री) सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ भी ऊपर उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऐसे विवरण (पदनाम) के रूप में दे रहा हूँ/रही हूँ और ऐसे विवरण देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख _____ को सत्यापित।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____

सत्यापन

मैंने/हमने _____ को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए (अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वारा यूनिट धारक को संदत्त/जमा की गई आय (धारा 115पख के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) और अर्जित आय की विशिष्टियों को दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परिक्षा की गई है

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान _____

(लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)

तारीख _____

टिप्पण : 1. "लेखाकार" से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।

2. सभी रकम भारतीय रुपए में वर्णित की जाएं।

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

3. आय-कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 17.7.2023 से प्रतिस्थापित।